विभाग:- मूल नियम 22-ग के बिंदु 9 पर तक के अंतगत वेतन नियमन - यह प्रश्न का काफी सरकारी कार्यकारी का उपके अनुसार वेतन वो, जो उसने अपने प्रवक् बिंदु देने पर नहीं लिया वा उठी प्रव देने पर अन्य तथा होने पर, एक वर्ष से अधिक अवधि होने पर, समय भी ही क्षेत्र होता है।

यह नियम 22 के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाता जाता है जो प्राधिकृत वेतन नियमकारी और क्षेत्र में विभागीय गतिविधियाँ वे प्रकृतता के के पूर्व वेतन नियमकारी के लिए मिश्रधार वे लेने के मामले में नागृ होता है।

2. इस बारे में पूरा उत्तर दिया गया है कि काफी सरकारी कार्यकारी का, प्रवक्ता होने पर, उस अनुसार वेतन का, जो (छोटे पर होने के लिए) प्रव देने में नहीं लिया गया हो तब वे उसकी भी एक पर पुनः उनके होने पर दिये गये उसके प्राधिकृत वेतन का विवरण वे लिया जाता है, वर्तमान विवरण जा रहा है।

वह पूरा आमला जिसके आधार पर पूर्वतिथि प्रश्न उठाया गया वह प्रकार है:

'एक सरकारी कार्यकारी का 'उ' उद्ध सेवा विवरण के पद पर नियामक तौर पर काफी पर रहा है। उन्हें 1-1-74 से 19-1-1-74 की अवधि में 404 साल के सार पर लेना लिया। इसके बाद वह 31-12-76 तक छोटी पर चला गया और वह उद्ध सेवा के नियमकारी द्वारा वह उम्मीदित किया गया है कि वह 3-9-75 तक उद्ध सेवा विवरण के पद पर नियामक तौर पर काफी कर रहा होता। उन की ऐसी कहानियों को छोड़कर हुए जो उद्ध सेवा विवरण के नियमकारी द्वारा प्रविशिक करने की तारीख 13-6-75 नियामक की गई। वह उद्ध तरीके की छोटी पर शा और छोटी पर रहना रहा, इसलिए उसको वार्षिक वेतन नियामक के द्वारा भुगतान के पद का नियामक कर दिया।

४१६ सार के सार पर 4-9-75 से पूर्वांशिक हो गया। उद्ध सेवा विवरण के आदेश, तत्पर 3-1-77 से पूनः उनके होने पर उद्ध वेतन उसके मूल पद के नियामक 390 सार के सारसे में 404 सार के सार पर नियामक नि गया गया। विवाहार्दीन प्रश्न यह है कि कां 3-1-77 से दुबारा पूर्वतिथि होने पर उद्ध के तन 416 सार
3. इसकी सामग्री से जांच की गई है। पूल नियाम 22(4) के विस्तार पर निम्नलिखित है, जैसे कि तब गर्भ नहीं है, हर बच्चे को न खुशी नहीं है। पूल नियाम 31(2) के अंतर्गत लगाने गई दिल्ली में, इस अंतर्गत ज्ञात त्योहार लिखा गया है कि छुट्टी पर जाने वाले किसी विद्वा के सामने हों, बालक छुट्टी की अवधि ज्ञात करने और उक्त वक्ता के बड़े फंदे हिसाब में लिखा जाता है।

4. तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि उच्च बैराग 2 में उल्लिखित पालिका का हिस्सा में वेतन उसी स्थान पर लिखा किया गया।(पढ़िए लिखा नहीं गया है) और नियाम अधिकार के विस्तार पर रखा गया एवं उसके मुख्य वेतन के स्थान पर वार्षिक वेतन के लिए हिसाब में लिखा गया।

5. तदनुसार जाना जाना चाहिए कि तारीख में प्रभाव वाली सभी प्रकार के वेतन, अंतर्गत ज्ञात जाने वाले किसी विद्वा के सामने हों, जब उनके मुख्य वेतन के स्थान पर निर्णय सदस्य के अनुसार किया गया है।

6. नीति तक भारतीय संवेदन और केन्द्रीय नियाम भारत के नियामक तथा व्यवस्थापक खर्च के साथ परामर्श करके जारी किया गया है।

भारत सरकार के ख्री पत्रलय/फिलाग आर्थिक अनुयार

(अभियंता विभाग में बी गर्म पत्री के अनुयार)